

18/2013

12/19

तारीख

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया कि प्रकरण लम्बे समय से प्रतिवादीगण की

तलबी में विचाराधीन चल रहा है। लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी आदिनांक तक सम्मन तलबाना पेश नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है। कि वकील वादी वाद को आगे चलाना नहीं चाहता है। और न ही न्यायालय के आदेशों की पालना की जा रही है।

लिहाजा वादी का वाद आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) सिवामा

